प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दि0 11.04.2016 की राजस्व समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में प्रतिभागी अधिकारियों की उपस्थिति कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित है।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के निर्देश :–

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश निम्न बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्यवाही करायेः–

1. वित्तीय वर्ष 2016–17 प्रारम्भ हो चुका है। अतः सभी अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य–योजना बनाते हुए उस पर अपेक्षित कार्यवाही करायी जाए। राजस्व संग्रह लक्ष्यों का खण्ड/अधिकारी स्तर तक विभाजन कर पूर्ति करायी जाए ।
2. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजस्व संग्रह की दृष्टि से पूरे प्रदेश में सबसे कम ग्रोथ के जोन निम्नवत् हैं:–

(धनराशि रू0 करोड़ में)

जोन का नाम	वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त संग्रह	वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त संग्रह	गर्त वर्ष के सापेक्ष्य कमी/वृद्धि प्रतिशत में
इटावा	1623.98	1643.65	–1.20
गौतमबुद्ध नगर	4609.00	4595.16	+0.30
स्हारनपुर	1081.41	1059.84	+2.04
ठलाहाबाद	1354.13	1297.76	+4.34
अलीगढ़	581.42	556.96	+4.39

उपर्युक्त जोन के द्वारा राजस्व में अपेक्षित प्राप्ति न होने के कारणों की विस्तृत समीक्षा किया जाना आवश्यक है और उसके पश्चात् कमी के कारणों की चिन्हित करते हुए उन पर विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है, जिससे वित्तीय वर्ष 2016–17 में निर्धारित संग्रह लक्ष्य की शत–प्रतिशत पूर्ति संभव हो सके।

3. सिगरेट, सिगार, तम्बाकू आदि पर प्राप्त कर की स्थिति निम्नवत् हैः–

(धनराशि रू0 करोड़ में)

मार्च 2016 में प्राप्त कर	मार्च 2015 में प्राप्त कर	वर्ष 2015–16 में प्राप्त कर	वर्ष 2014–15 में प्राप्त कर
74.98	86.92	571.14	551.24

दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 से सिगरेट एवं सिगार पर कर की दर बढ़ाते हुए 40 प्रतिशत की गयी, जिसके पश्चात उक्त वस्तुओं पर प्राप्त कर में निरन्तर कमी हो रही है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि के पश्चात इनमें करापवंचन हो रहा है। संभवतः प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों से अवैध रूप से सिगरेट का आयात करके उसकी बिक्री की जाती है। अतः करापवंचन पर रोक हेतु प्रदेश के सीमावर्ती जोन यथा– सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा एवं अलीगढ़ आदि की प्रर्वतन इकाईयों द्वारा इन वस्तुओं के परिवहन की सघन जांच करायी जाए।

4. प्रदेश में कुल ईट भट्ठो की संख्या 17056 है, जिनमें से सीजन वर्ष 2015–16 में 12030 भट्ठो द्वारा समाधान योजना का विकल्प लिया जा चुका है और 4756 भट्ठों के द्वारा समाधान योजना का विकल्प नहीं लिया गया है। अतः जिन भट्ठों के द्वारा समाधान योजना का विकल्प नहीं लिया गया है, उनका प्रत्येक माह सर्वेक्षण कराया जाए तथा गत वर्ष के समाधान का अवशेष रू0 56 करोड़ की वसूली करायी जाए।
5. रिटर्न विवरणी की परिनिरीक्षा के पश्चात् रू0 924.07 की मांग सृजित की गयी है, जिसमें से रू0 137.29 करोड़ की वसूली की जा चुकी है और रू0 786.78 करोड़ की धनराशि वसूली हेतु अवशेष है। अतः रिटर्न की परिनिरीक्षा के पश्चात् सृजित मांग की वसूली पर विशेष बल दिया जाये।
6. वि0अनु0शा0 इकाईयों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में जांच के फलस्वरूप रू0 27956.52 करोड़ अनुमानित अपवंचित टर्न ओवर प्रकाश में लाया गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं उसके पूर्व वर्षों में वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा जांच के आधार पर प्रकाश में लाये गये महत्वपूर्ण मामलों में कर निर्धारण किये जाने और कर निर्धारण के फलस्वरूप सृजित मांग की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करायी जाए। गेहूं क्रय का सीजन प्रारंभ होने से जून–16 तक गल्ला मंडियों की जांच निरंतर की जाए व गेंहू के परिवहित वाहनों, फ्लोर मिलों द्वारा गेहूं खरीद पर वैट कर की देयता की जांच की जाए।

←1/4—

7. सचलदल इकाईयों को रोड चेकिंग के दौरान पंजीकृत व्यापारियों के द्वारा जारी बिलों का अधिकाधिक संग्रहण किये जाए, क्योंकि बिलों के संग्रहण से व्यापारी उसे लेखा पुस्तकों में दर्ज करने को बाध्य होता है, फलस्वरूप उस बिल से सम्बन्धित धनराशि सुरक्षित हो जाती है।
8. रेलवे के माध्यम से प्रान्त बाहर से काफी मात्रा में अपवंचित माल प्रान्त में आयात किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में रेलवे के माध्यम से आयातित माल की जांच के फलस्वरूप रू0 10.99 करोड़ जमानत जमा करायी गयी है। अतः रेलवे से आने वाले माल की सघन जांच करते हुए अधिक से अधिक जमानत जमा कराया जाना आवश्यक है ।
9. जांच अधिकारियों के द्वारा जांच रिपोर्ट नियत अवधि में अवश्य शासन को उपलब्ध करायी जाए। आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलंब न किया जाये।
10. वर्ष 2015–16 मे लक्ष्य पूर्ति का प्रयास अच्छा रहा है। वर्ष 2016–17 के लक्ष्य अपेक्षाकृत अधिक है किंतु हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। विभाग को प्राप्त चुनौतियों को स्वीकार करके अधिक गति से कार्य करना होगा। विभाग के मौलिक कार्यों से विचलन न हो, समाधान योजनाओं की नियमित मानिटरिंग की जाए। गत वर्ष के राजस्व संग्रह में कमियों का विश्लेषण करते हुए वर्ष के प्रारंभ से ही सार्थक प्रयत्न किये जाए, ताकि वर्ष 2016–17 के मासिक/वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

(कार्यवाही कमिश्नर, वाणिज्य कर/जोनल एडीशनल कमिश्नर)

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के निर्देश :

1. मासिक बैठक/वीडियो कांन्फ्रेसिंग का कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में बैठक के आगामी माह की 5 तारीख तक भेजना सुनिश्चित करें तथा प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देशित कार्यवाही के उपर्युक्त सभी 10 बिंदुओं पर प्रभावी कार्यवाही सभी जोन में सुनिश्चित करायी जाए।
2. प्रत्येक जोन को वर्ष 2016–17 के निर्धारित लक्ष्य रू0 58000 करोड़ की लक्ष्य पूर्ति के लिए वार्षिक/मासिक कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। जोन स्तर पर बनाई गई कार्ययोजना के अनुरूप कार्य करने के लिए संभाग व खण्ड स्तर पर भी कार्ययोजना बनाई जाए, क्योंकि इन्हीं स्तर पर क्रियान्वयन किया जाता है। इस संदर्भ में मुख्यालय के पत्र संख्या– 113/दि0 01–04–16 में निर्धारित 12 बिन्दुओं पर कार्ययोजना बनाकर दि0 10–04–16 तक प्रेषित किया जाना था, लेकिन अभी तक केवल 3 जोन से प्राप्त हुई है। निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में वर्ष 2016–17 के लक्ष्य पूर्ति के लिए व्यावहारिक व प्रासंगिक कार्ययोजना बनाकर दि0 20 अप्रैल 2016 तक भेजना सुनिश्चत करें, जिससे कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा के लिए जोनल व संभागीय अधिकारियों को मुख्यालय समय से बुलाया जा सके और उनके द्वारा बनाई गयी कार्ययोजना के व्यावहारिक पक्षों का परीक्षण किया जा सके।
3. ईट भट्टों में उत्पादन की दृष्टि से अप्रैल, मई व जून के माह अत्यधिक महत्वपूर्ण होते है इसलिए योजना से बाहर रहने वाले भट्टों का निरंतर सर्वे कराया जाए और चलते हुए भट्ठे, कच्ची व पकी ईंट का स्टॉक की वीडियोग्राफी कराकर पत्रावली में अभिलेखित की जाए। योजना में सम्मिलित भट्टों से अवशेष समाधान की राशि रू0 259.55 करोड़ को जमा कराना सुनिश्चित करें और उनके आदेश भी समय से पारित किये जाए। गतवर्ष के समाधान में सम्मिलित भट्टों के ऑनलाइन आदेश प्रत्येक दशा में 30 अप्रैल तक पारित हो जाएं ।
4. प्रदेश में लागू बिल्डर्स के लिए समाधान योजना में अधिकाधिक बिल्डर्स को सम्मिलित करने के लिए अपने–अपने जोन में बिल्डर्स एसोसिएशन की बैठक दि0 12/13–04–16 में अवश्य कर ली जाए और योजना मे संशोधन के लिए प्राप्त सुझाव दिनॉक 13–04–2016 तक मुख्यालय प्रेषित किया जाए ताकि उनका विधिक परीक्षण किया जा सके। समाधान योजना में सम्मिलित न होने वाले बिल्डर्स का स्टाक वेरिफिकेशन मासिक रूप से प्रारंभ कर दिया जाए।
5. जिले में 5000 से अधिक आबादी की ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका/नगर निगम और कार्यदायी संस्थाओं यथा डूडा, जल निगम, मण्डी परिषद, जेल, पी0ए0सी व पुलिस लाइन तथा सभी सरकारी विभागो को अभियान चलाकर अप्रैल व मई माह तक टी0डी0एन0 देना सुनिश्चित करें, इसके लिए अपने जिले के जिलाधिकारी की ओर से सभी विभागों के लिए पत्र निर्गत कराये कि कोई भी सरकारी विभाग अपंजीकृत व्यापारियों से कोई सेवा/वस्तु नहीं खरीदेगा। नियमानुसार टी0डी0एस0 प्राप्त करने के लिए

सरकारी विभागों के भुगतान संबंधी पत्रावलियों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है, इसके लिए ज्वा0कमि0 (कार्य0) अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उनके अधिक्षेत्र में आने वाले ऐसे विभागों के लेखा अनुभाग में भेजकर सही दर से टी0डी0एस0 कटौती किए जाने व समय से जमा किए जाने का परीक्षण कराएं। आवश्यक होने पर संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी से पूर्व में वार्ता भी कर लें।

6. वर्ष 2012–13 के पारित कर निर्धारण आदेशों की समीक्षा में प्रकाश में आया कि अधिकांश कर निर्धारण आदेश वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में ही पारित किये गए हैं, यह कार्य गुणवत्ता तथा उनसे सृजित मांगों की वसूली की दृष्टि से उचित नही है। वित्तीय वर्ष 2016–17, वर्ष 2013–14 के कर निर्धारण वादों के लिए कालबाधित वर्ष है, अतः वर्ष के प्रारंभ से ही खण्ड स्तर पर समानुपातिक रूप से वर्ष 2013–14 के कर निर्धारण वादों का निस्तारण किया जाए और इसकी समीक्षा प्रत्येक मासिक बैठक में की जाएगी।
7. प्रत्येक मंडल कार्यालयों में पर्याप्त कनिष्ठ सहायक व आशुलिपिक की तैनाती हो चुकी है अतः विभागीय कार्य संचालन के लिए नए वित्तीय वर्ष में खण्ड स्तर पर बनने वाले सभी रजिस्टरों में सूचना दिनॉक 30–04–16 तक अपडेट करा ली जाए, पुराने वर्षों की भी प्रविष्टियां पूर्ण करा ली जाएं ।
8. वर्ष 2016–17 के लिए नए व्यापारियों के पंजीकरण का लक्ष्य 1 लाख 50 हजार निर्धारित किया गया है। जोनवार लक्ष्य सूचित किए जा रहे हैं जिसकी पूर्ति सुनिश्चित करायी जाए।
9. प्रदेश में नए पंजीकरण के एम0आई0एस0 के अनुसार प्राप्त प्रार्थना पत्र में से कुल 720 प्रार्थना पत्रों को होल्ड में रखा गया है, यह उचित नहीं है। होल्ड में रखे सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रत्येक दशा में दि0. 20 अप्रैल, 2016 तक कर दिया जाए।
10. जोन लखनऊ प्रथम/द्वितीय को निर्देशित किया गया कि लखनऊ में रेलवे के उच्च अधिकारियों के साथ रेलवे से होने वाले करापवंचन के प्रभावी रोकथाम के लिए बैठक कर ली जाए, यदि संभव हो तो कस्टम के अधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित कर लिया जाए।
11. प्रत्येक दशा में वर्ष 2016–17 के मासिक/त्रैमासिक रिटर्न का शत–प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित करें। निर्देशित किया गया कि संभाग में रिटर्न न दाखिल करने वाले व्यापारियों की संख्या 5 प्रतिशत से अधिक होने पर संबंधित ज्वा0 कमि0 (कार्य0) के द्वारा रिटर्न न दाखिल करने के कारण सहित टिप्पणी मुख्यालय प्रेषित की जाए। खण्डवार व अधिकारीवार समीक्षा करके उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।
12. मुख्यालय(वाद अनु0) के परिपत्र के अनुसार रू0 10 लाख से अधिक के रिफंड ज्वा0 कमि0 (कार्य0) के वेरीफाई करने के पश्चात् होगा। रिफंड करते समय यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि व्यापारी जिस मद का रिफंड क्लेम कर रहा है वह कर के रूप में विभाग को प्राप्त हुआ हैं।
13. राजस्व हित में सचल दल इकाईयों द्वारा बहती की गाड़ियों की सूचना लेकर अधिकाधिक जांच की जाए। पंजीकृत व्यापारियों के संवेदनशील एवं अधिक मूल्य की वस्तुओं के अधिकतम बिल एकत्रीकरण कराए जाएं, ताकि देय राजस्व सुरक्षित हो सके।
14. कतिपय जोन में मासिक रिटर्न दाखिल करने वाली कतिपय फर्में वाणिज्य कर अधिकारी के स्तर पर विद्यमान है, तत्काल नियमानुसार संबंधित स्तर के अधिकारी के अधिक्षेत्र में स्थानांतरित कराते हुए त्रुटि रहित मार्किंग सुनिश्चित की जाये।
15. रिस्क प्रोफाइल के पैरामीटर पर रिटर्न की स्क्रूटनी का कार्य एडि0 कमि0 ग्रेड–1/ग्रेड–2 तथा ज्वा0कमि0 (कार्य0/वि0.अनु0शा0) के लॉग–इन में अभी भी लंबित है। वर्ष 2015–16 के चयनित रिटर्न की स्क्रूटनी का कार्य दि0 30–04–16 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाए।
16. वर्ष के प्रारंभ से ही ज्वां0कमि0 (कार्पो0) और ज्वा0कमि0 (कार्य0/वि0अनु0शा0) संयुक्त रूप से समीक्षा कर लें कि संभाग की किन–किन फर्मों का कर गत वर्ष से कम रहा है और किन फर्मों की सघन परीक्षण के लिए वि0अनु0शा0 की जांच आवश्यक है। तद्नुसार नियमानुसार कार्यवाही कराये।
17. एडीशनल कमिश्नर सहारनपुर सिगरेट की फर्म सर्वश्री आई0टी0सी0 की विस्तृत समीक्षा करें कि क्यों इस फर्म द्वारा कर की दर में वृद्धि होते ही कम कर दिया जाता है। कर की दरों में वृद्धि का प्रभाव व्यापार के स्थानांतरित होने के रूप में प्रकाश में आता है जबकि सर्वश्री आई0टी0सी0 के मामले में व्यापार के

स्थानांतरण के बजाय स्टॉक ट्रांसफर में वृद्धि होना पाया जा रहा है। अतः इस फर्म द्वारा पड़ोसी राज्यों में स्टॉक ट्रांसफर की गत वर्ष से तुलनात्मक जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

18. बकाया वसूली का कार्य जोन गाजियाबाद प्रथम, वाराणसी द्वितीय, इटावा, गोरखपुर व अलीगढ़ में वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 80 प्रतिशत से कम रहा है। निर्दिष्ट जोन बकाया वसूली लक्ष्य की शत–प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें,। बड़े बकायादारों से वसूली का कार्य असंतोषजनक है। रू0 1 करोड़ से अधिक के बकायेदारों की अद्यतन स्थिति एडीशनल कमिश्नर के पास व पचास लाख से अधिक के बकायादारों की स्थिति ज्वा0कमि0 (कार्य0) के पास रहे जिससे उन पर निरंतर कार्यवाही सुनिश्चित कर सकें।
19. वस्तुवार समीक्षोपरांत जोन सहारनपुर के सिगरेट, आयरन व स्टील की, जोन फैजाबाद को पान मसाला व गुटखा, जोन गौतमबुद्धनगर को फ्रिज व एयर कंडीशन उपकरण, रंगीन टी0वी0, ओल्ड आरनामेन्ट्स बुलियन तथा प्राकृतिक गैस, जोन इटावा व आगरा को प्राकृतिक गैस के व्यापारिक सम्व्यवहारों की जांच के लिए निर्देशित किया गया। सभी जोन को स्टेशनरी/किताब विक्रेताओं, फर्नेस ऑयल, कुकुड फूड तथा कास्मेटिक्स वस्तुओं के व्यापारिक सम्व्यवहारों की जांच के लिए निर्देशित किया गया।
20. उत्तरांचल राज्य में इस वित्तीय वर्ष से वैट अधिनियम की धारा 32 का प्राविधान समाप्त कर दिया गया है। बैठक में विचार–विमर्श के उपरांत उत्तर प्रदेश में भी उक्त प्राविधान को समाप्त किए जाने पर सभी जोन/संभाग के अधिकारियों की आम सहमति प्राप्त हुई। अतः इस संबंध में विधिक स्थिति का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव शासन भेजे जाने की अपेक्षा की गयी।
21. आर0सी0 मॉड्यूल में डिमांड शून्य आने का कारण यह है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आदेश के प्रथम पृष्ठ में निर्दिष्ट डिमांड के बॉक्स में प्रविष्टियां शून्य अंकित की जा रही हैं। संभागीय अधिकारी अधीनस्थ सभी कर निर्धारण अधिकारी की वर्कशॉप करके आर0सी0 मॉड्यूल के संचालन व अन्य आई0टी0 रिलेटेड कार्यों से अवगत कराते हुए नए पुराने सभी ऑनलाइन आदेशों के अंत के कॉलम में डिमांड की प्रविष्टियां नियमानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ताकि आर–5 (बी) एवं आर–3 रजिस्टर में डिमांड आ जाए।

(कार्य0 एडी0 कमि0/ग्रेड–2 वि0अनु0शा0, ज्वांइट कमि0 अनु0 संबंधित ज्वा0 कमि0 मु0)

माह **अप्रैल–2016** की मासिक लक्ष्य रू0 2670.67 करोड़ की पूर्ति किए जाने के संकल्प व उपर्युक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण करने के साथ बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

18/04/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याःएस0एस0–मासिक बैठक–2016–17/ 23 /वाणिज्य कर,

कार्यालय : कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 **(संख्या अनुभाग)**

लखनऊःदिनांकः: 19-04-2016

उपर्युक्त कार्यवृत्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- निजी सचिव, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञान में लाने हेतु
- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश एवं एडीशनल कमिश्नर प्रशासन, लेखा व विधि उ0प्र0।
- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर व ग्रेड–2 वि0अनु0शा0 एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर कार्यपालक व कॉरपोरेट वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर व अनुभाग प्रभारी / वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय।

18/4/16

ज्वांइट डायरेक्टर (संख्या), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।